न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO), बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री यशार्थ शेखर आई.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 672 / 2025

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थी
1 अचलाराम पुत्र कलाराम 2 अचलाराम पुत्र सांवलाराम 3 आदूराम 4 केसाराम पिसरान देदाराम 5 खेताराम पुत्र पूनमाराम 6 खूमाराम पुत्र दानाराम 7 खरथााराम पुत्र कोहलाराम 8 खेराजराम पुत्र देवाराम 9 खेराजराम पुत्र गोकलाराम 10 गोमाराम पुत्र पूनमाराम 11 गोविन्दाराम 12 चोखाराम पिसरान दानाराम 13 जीयाराम पुत्र दोलाराम 14 डालूराम पुत्र कलाराम 15 डालूराम पुत्र गोकलाराम 16 थानाराम पुत्र पूनमाराम 17 दूदाराम पुत्र सांवलाराम 18 धनाराम पुत्र देदाराम 19 नेनाराम पुत्र दोलाराम 20 पुरखाराम पुत्र कानाराम 21 भेराराम पुत्र दोलाराम 22 भीखाराम पुत्र देवाराम 23 भीखाराम पुत्र कानाराम 24 मगाराम पुत्र कोहलाराम 25 मदाराम 26 मूलाराम पिसरान दानाराम 27 मेहाराम पुत्र कलाराम 28 रूखमणाराम पुत्र नरसिंगाराम 29 रिडमलराम पुत्र कोहलाराम 30 लाखाराम पुत्र पेमाराम 31 वालाराम पुत्र दोलाराम 32 वीराराम पुत्र कानाराम 33 सोनीदेवी पत्नी देदाराम 34 हनुमानराम पुत्र कोनाराम 35 हीराराम पुत्र सांवलाराम 36 हीराराम पुत्र कानाराम जाति जाट निवासी सारणों का तला जाखड़ों की ढाणी,तहसील व जिला बाडमेर।		1 तहसीलदार बाडमेर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 RLR Act.

उपस्थिति :–

1 श्री कैलाश एन सारण, वकील प्रार्थीगण पक्ष।

आदेश

दिनांक....................

संक्षिप्त में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के स्वामित्व एवं खातेदारी की भूमि मौजा सारणों का तला पटवार हल्का जाखड़ोंकी ढाणी तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 790 रकबा 26.1184 .हैक्टेयर, खसरा संख्या 791 रकबा 37.0368 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। अप्रार्थी द्वारा राज्य सरकार के आदेशानुसार चलाये गये राजस्व नक्शों को डीएलआरएमपी योजना के तहत ऑनलाईन करते समय गलत अंक[illegible] दिये गये जिसके कारण मौके व ऑनलाईन में भारी अन्तर आ गया है [illegible] प्रार्थीगण दुरूस्त करवा करवाना चाहते हैं ताकि काश्तकारों के बीच किसी प्रकार का विवाद उत्[illegible]हीं हो। प्रार्थीगण के उपरोक्त खसरों के संयुक्त रूप से कब्जा काश्त करते आ रहे है परन्तु अप्रार्थी द्वारा खसरा संख्या 790 की तरमीम तो पुराने लठ्ठा ट्रेस अनुसार कर दी गई परन्तु खसरा संख्या 791 की तरमीम लठ्ठा ट्रेस अनुसार नही कर खसरा संख्या 857 / 730 के साथ ऑनलाईन गलत तरमीम अप्रार्थी द्वारा भूलवंश कर दी

गई है। उक्त स्थिति के कारण मौके पर विवाद रहता है। लिहाजा मौजा सारणों का तला पटवार हल्का जाखड़ों की ढाणी तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 791 रकबा 37.0368 हैक्टेयर भूमि की ऑनलाईन तरमीम को निरस्त करते हुए पूर्व में जमाबन्दी के पीछे अंकित नक्शा लठ्ठा ट्रेस अनुसार ऑनलाईन नक्शा दुरूस्त करने हेतु अप्रार्थी को आदेश फरमाया जावे।

आवेदन दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार बाडमेर से मौके की रिपोर्ट अभिलेख के परिप्रेक्ष्य में तलब की गई।

तहसीलदार बाडमेर के प्रस्तुत पत्रांक भूअ/2025/3875 दिनांक 16.09.2025 द्वारा प्रतिवेदन इस आशय का उपलब्ध करवाया कि मौजा सारणों का तला पटवार हल्का जाखड़ों की ढाणी तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 791 रकबा 37.0368 हैक्टेयर भूमि की गलत तरमीम को दुरूस्त करने हेतु मौके व रेकर्ड की जांच करने पर पाया गया कि राजस्व रेकर्ड के अनुसार मौजा सारणों का तला जमाबन्दी खाता संख्या 07 खसरा संख्या 790 रकबा 26.1184 हैक्टेयर किस्म बा.सो. तथा खसरा संख्या 791 रकबा 37.0368 हैक्टेयर किस्म बा. सो. की भूमि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि है। वर्तमान भू–नक्शा के अनुसार खसरा संख्या 791 का नक्शा परिशिष्ठ 'अ' के अनुसार है, जो कि गलत है। वक्त सेटलमेन्ट की सर्वेशीट नकल, मोमी ट्रेस नकल तथा ऑफलाईन रेकर्ड लठ्ठा ट्रेस नक्शा में अंकित नक्शा तरमीम के आधार पर तरमीम दुरूस्ती हेतु नक्शा परिशिष्ठ 'ब' तैयार किया गया है जिसका मौके की कब्जा काश्त से मिलान हो रहा है। जांच पड़ताल करने पर पाया गया कि राजस्व रेकर्ड ऑनलाईन अपडेशन करते वक्त प्रार्थीगण की खातेदारी खसरा संख्या 790 व रेकर्ड भू नक्शा में सही–सही दुर्ज हुआ लेकिन खसरा संख्या 791 रकबा 37.0368 हैक्टेयर भूमि के नम्बर को अपने सही नक्शा स्थान से हटाकर दूर मात्र चार–पांच बिस्वा के करीब के एक टूकड़े में अंकित कर दिया जो गलत है। लिहाजा प्रार्थीगण के खातेदारी का खेत मौजा साारणों का तला पटवार हल्का जाखड़ों की ढाणी तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 791 रकबा 37.0368 हैक्टेयर भूमि की वर्तमान ऑनलाईन तरमीम को निरस्त करते हुए मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ठ 'ब' के अनुसार शुद्ध करने की अभिशंषा की है।

वकील प्रार्थीगण को तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट पर सुना गया। वकील प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि तहसीलदार बाडमेर की मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण के खातेदारी का खेत मौजा सारणों का तला पटवार हल्का जाखड़ों की ढाणी तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 791 रकबा 37.0368 हैक्टेयर भूमि की वर्तमान ऑनलाईन तरमीम को निरस्त करते हुए तहसीलदार बाडमेर के मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ठ 'ब' के अनुसार शुद्ध करने का आदेश फरमावें। हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों तथा तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड सर्वेशीट नकल, मोमी ट्रेस नकल तथा ऑनलाईन रेकर्ड लठ्ठा ट्रेस नक्शा में

Signature Not Verified
Digitally signed by Yasharth Shekhar
Date: 2025.12.09 17:30:01 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
बाडमेर

अंकित नक्शा तरमीम के परीप्रेक्ष्य में मौका रिपोर्ट तैयार की गई। तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत फर्द मौका प्रतिवेदन के मद्देनजर मौजा साारणों का तला पटवार हल्का जाखड़ों की ढाणी तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 791 रकबा 37.0368 हैक्टेयर भूमि की वर्तमान ऑनलाईन तरमीम को निरस्त करते हुए मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ठ 'ब' के अनुसार शुद्ध किया जाना उचित प्रतीत होता है। वकील प्रार्थीगण ने तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार परिशिष्ठ 'ब' के अनुसार शुद्ध की किये जाने का निवेदन किया है। तहसीलदार बाडमेर ने भी अंकित किया है कि राजस्व रेकर्ड ऑनलाईन अपडेशन करते वक्त प्रार्थीगण की खातेदारी खसरा संख्या 790 रेकर्ड व भू नक्शा में सही–सही दुर्ज हुआ लेकिन खसरा संख्या 791 रकबा 37.0368 हैक्टेयर भूमि के नम्बर को अपने सही नक्शा स्थान से हटाकर दूर मात्र चार–पांच बिस्वा के करीब के एक टूकड़े में अंकित कर दिया जो गलत है। ऐसी स्थित में इस न्यायालय को धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत अभिलेख में लिपिकीय भूल सुधारने की जो शक्तियां है उसका प्रयोग करना, मैं उचित समझता हूं। लिहाजा प्रार्थीगण के खातेदारी का खेत मौजा साारणों का तला पटवार हल्का जाखड़ों की ढाणी तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 791 रकबा 37.0368 हैक्टेयर भूमि की वर्तमान ऑनलाईन तरमीम को निरस्त करते हुए मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ठ 'ब' के अनुसार शुद्ध किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा साारणों का तला पटवार हल्का जाखड़ों की ढाणी तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 791 रकबा 37.0368 हैक्टेयर भूमि की वर्तमान ऑनलाईन तरमीम को निरस्त करते हुए तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ठ 'ब' के अनुसार शुद्ध किया जाता है। तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ठ 'ब' आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बाडमेर तद्नुसार राजस्व अभिलेख में शुद्ध करें। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(यशार्थ शेखर)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी
बाडमेर

आदेश आज दिनांक .... को खुले इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Yasharth Shekhar
Date: 2025.12.09 17:30:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी
बाडमेर